[1]प्ररूप सं. 67

[नियम 128 *देखें*]

भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से आय और विदेशी कर क्रेडिट का विवरण

भाग क

1. निधारिती का नाम ....
2. [2]**[**स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक**]** | | | | | | | | | | | |
3. पता ....
4. निर्धारण वर्ष ....
5. भारत से बाहर किसी देश या विनिर्दिष्ट राज्यक्षेत्र से आय और दावाकृत विदेशी कर क्रेडिट के ब्यौरे

क्रम संख्या	देश/ विनि-र्दिष्ट राज्य क्षेत्र का नाम	आय का स्त्रोत	भारत से बाहर से आय	भारत से बाहर संदत्त कर		भारत में सामान्य उपबंधों के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	धारा 115 ञख/ञग के अधीन ऐसी आय पर संदेय कर	धारा 90/90क के अधीन दावाकृत क्रेडिट			धारा 91 के अधीन दावाकृत क्रेडिट रकम	दावाकृत कुल विदेशी कर क्रेडिट
				रकम	दर			दोहरा कराधान परिवर्जन करारों की अनुच्छेद संख्या	दोहरा कराधान परिवर्जन करारों के अनुसार कर की दर	रकम		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
		वेतन										
		गृह संपत्ति										
		कारबार/वृत्तिक आय										
		दीर्घावधि पूंजी लाभ										
		अल्पावधि पूंजी लाभ										
		ब्याज-आय										
		लाभांश										
		रायॅल्टी, जो कारबार आय का भाग नहीं है।										
		तकनीकी सेवाओं के लिए फीस, जो कारबार आय का भाग नहीं है										
		अन्य (विनिर्दिष्ट करें)										

---

1. आय-कर (अठारहवां संशोधन) नियम, 2016 द्वारा 27.6.2016 से अंतःस्थापित।
2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।

भाग ख

(क) क्या किसी पूर्व लेखावर्ष में हानियों के पश्चनयन के परिणामस्वरूप विदेशी कर का कोई प्रतिदाय दावाकृत किया गया है। हाँ/नहीं

(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें:--

(i) लेखावर्ष, जिससे संबंधित ऐसी हानियां हैं ....

(ii) लेखावर्ष, जिसमें हानि की पश्चनयन की क्षतिपूर्ति की गई है ....

(iii) लेखावर्ष के लिए दावाकृत प्रतिदाय ....

(iv) पूर्ववर्ती वर्ष, जिससे (iii) में निर्दिष्ट प्रतिदाय संबंधित है

2(क) क्या किसी विदेशी कर के लिए क्रेडिट, जो विवादाधीन है, का दावा किया गया है हां/नहीं

(ख) यदि उपरोक्त (क) का उत्तर हां है, तो निम्नलिखित ब्यौरे दें:--

(i) आय, जिसके संबंध में कर विवादित है, की प्रकृति और रकम ....

(ii) ऐसे विवादित कर की रकम

सत्यापन

मैं...........................पुत्र/पुत्री................................[2][स्थायी खाता संख्यांक या आधार संख्यांक]...........................का धारक होते हुए घोषणा करता हूं कि मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार, उपरोक्त विवरण के भाग क और भाग ख में दी गई जानकारी सत्य और पूर्ण है और सच्चाई से कथित की गई है।

मैं और घोषणा करता हूं कि मैं यह कथन......................के रूप में अपनी हैसियत में कर रहा हूं और मैं इस कथन को करने और उसे सत्यापित करने के लिए सक्षम हूं।

आज तारीख...........................को सत्यापित

स्थान ....

हस्ताक्षर

टिप्पण - नियम 128 के उपनियम (8) के खंड *(ii)* में यथानिर्दिष्ट विदेशी कर के संदाय/कटौती का प्रमाणपत्र या विवरण और सबूत संलग्न करें।

---

2. आय-कर (बारहवां संशोधन) नियम, 2019 द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से 1.9.2019 से "स्थायी खाता संख्यांक" शब्दों के स्थान पर प्रतिस्थापित।